

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 190/2014/जोधपुर

मैसर्स बंशीलाल सोनाराम,
गांव खिचन, तहसील फलौदी, जोधपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, जोधपुर।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री पी.एम.चौपडा, अधिवक्ता

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री डी.पी.ओझा,

उप राजकीय अधिवक्ता

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 22/11/2016

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 13/आरवेट/जेयूबी/13-14 में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 29.11.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, जोधपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 21 एवं वेट नियम 2006 के नियम 19ए के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 के पारित आदेश दिनांक 18.01.2013 के जरिये अभिनिर्धारित विलम्ब शुल्क रुपये 5,000/- को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी ठेकेदार द्वारा आलौच्य अवधि में शून्य ही प्राप्तियां प्राप्त की गई है। अतः अपीलार्थी का वेट 11 प्रस्तुत करने का दायित्व है जो प्रस्तुत नहीं किया गया। जबकि अपीलार्थी द्वारा उक्त विवरण पत्र की देरी के लिये सशक्त अधिकारी द्वारा विलम्ब शुल्क का अभिनिर्धारण किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा एक अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार कर दी गई, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को अविधिक बताया और कथन किया कि धारा 21 में समय पर रिटर्न प्रस्तुत करने पर किसी प्रकार की फीस आरोपित नहीं की जा सकती है। वेट नियमावली अधिनियम को संचालित करने हेतु प्रक्रियात्मक कानून है जो अधिनियम का स्थान नहीं ले सकता और न ही उसे प्रभावित कर सकता है।



लगातार.....2

5. उन्होंने कथन किया कि नियम 19ए में विवरणी को विलम्बता से पेश करने पर फीस करदायी द्वारा जमा कराकर ही विवरणी प्रस्तुत करने का प्रावधान है। जबकि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विलम्ब से प्रस्तुत की गई विवरणी को वेब पोर्टल द्वारा मान्यता प्रदान कर दिये जाने से विलम्ब का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि प्रस्तुत की गई विवरणी deemed to be assessed की परिभाषा में मान्यता प्रदान की गई है तथा उसी के आधार पर कर निर्धारण आदेश पारित किया गया है। विभिन्न निर्णयों से यह स्पष्ट हो चुका है कि ठेकेदार (करदायी) मासिक करदाता की श्रेणी में नहीं आता है क्योंकि ठेकेदार होने के कारण राज्य सरकार ने इन्हें धारा 8(3) के तहत घोषित किया है क्योंकि अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से कर अवार्डर द्वारा उसको भुगतान किये जाने पर उसके बिलों से कर की कटौती कर विभाग में जमा कराया जाता है। ऐसी स्थिति में विभिन्न दृष्टान्तों के अंतर्गत यह स्पष्ट हो चुका है कि धारा 58 के तहत विवरणी की विलम्बता पर ऐसे व्यवसाइयों को मासिक करदाता न मानते हुए अधिकतम शास्ति रूपये 500/- से अधिक आरोपित नहीं की जा सकती।

इसके समर्थन में विभिन्न न्यायिक दृष्टान्त उल्लेखित किये :-

- 1- 12 TUD 25 Commercial Taxes Officer, Works and Leasing Tax, II Zone, Jaipur Vs. M/s Beniwal Construction Company, jat Ka sArai, Hindon City.
- 2- 16 TUD 138 Commercial Taxes Officer, Works Contract and Leasing Tax, Sri Ganganagar Vs. M/s Beant Construction Company, Suratgarh.
- 3- Appeal No. 519/2007/Jodhpur M/s Fazalu Rahman and Sons Vs. CTO WT, Jodhpur (RTB)

6. सशक्त अधिकारी को विलम्ब शुल्क अभिनिर्धारण की अधिकारिता नहीं होना जाहिर किया। अतः अपीलार्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करते हुए प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

7. अपीलार्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

8. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनियम के नियम 19(4)(b)(v) के अनुसार वार्षिक विवरण पत्र वैट-11 के पात्र दायी होने की विधिक स्थिति स्पष्ट की गई है, जो निम्न प्रकार है :-

Rule 19(4) : Return in Form VAT-11 shall be submitted, within ninety days of the end of the relevant year, by the following class of dealers ;

(c) Who has opted for payment of tax under sub-section (2) of section 3; or

(d) Who exclusively deals in goods;

(v) Which are exempted under sub-section (3) of section 8 on the condition of payment of exemption fee;

नियम 19(4)(ii)(v) के अनुसरण में ई0सी0 के अन्तर्गत कार्य किये जाने पर ही वार्षिक विवरण पत्र वैट-11 पेश करने के लिये पात्र एवं अधिकृत है। परन्तु उसने वैट 11 पेश नहीं किया।

h

9. कर निर्धारण वर्ष 2010-11 की अवधि के समस्त विवरण पत्र वैट 11 सहित प्रस्तुत करने की समयावधि अधिसूचना क्रमांक F.16(375) Tax/CCT/2006/Pt-I/1995, दिनांक 06.03.2013 द्वारा 30.04.2013 तक के लिये बढ़ाई गई है। अपीलार्थी फर्म द्वारा आलौच्य अवधि वैट 11 वक्त कर निर्धारण तक पेश नहीं किया।

10. (Rajasthan Act No. 4 of 2003) अधिसूचना एफ.12(25)एफ.डी./टैक्स/11-145, दिनांक 09.03.2011 द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 21 में संशोधन व नियम 19ए जोड़ा गया तथा धारा 58 को दिनांक 15.04.2011 से विलोपित किया गया।

11. दिनांक 15.04.2013 के बाद, देय (Due) हो चुके एवं होने वाले त्रैमासिक विवरण पत्र एवं वार्षिक विवरण पत्रों के लिये नियत समयावधि के बाद, एवं वक्त कर निर्धारण तक पेश नहीं करने की स्थिति में देरी के संबंध में विवरण पत्रों के लिए विलम्ब शुल्क के प्रावधान प्रभावी रहेंगे।

12. विद्वान अभिभाषक द्वारा उठायी गयी आपत्तियों की विवेचना की जाकर निम्न अनुसार निष्पादन किया जाता है :-

1. अवसर प्रदान किए जाने के संबंध में संदर्भित निर्णय शास्ति आरोपण से संबंधित है जबकि अपीलाधीन हस्तगत प्रकरण विलम्ब शुल्क अभिनिर्धारण का है। धारा 19ए जोड़े जाने के समय विधायिका की मंशा स्पष्ट है कि विलम्ब शुल्क अभिनिर्धारण बाबत अवसर प्रदान की आवश्यकता नहीं है। अतः विद्वान अभिभाषक की आपत्ति खारिज की जाती है।

2. राजस्थान वैट अधिनियम की धारा 21, नियम 19 पंजीकृत व्यवसाई के लिये बाध्यकारी (Mandatory) प्रावधान है कि वह अपने देय कर, ब्याज दायित्वों का अभिनिर्धारण कर विवरण आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगा।

उक्त दायित्व निर्धारण में देरी होने पर यह सुविधा भी प्रदान की है कि विधिक प्रावधानों के अनुसार देरी के लिये विलम्ब शुल्क का स्वयं ही अभिनिर्धारण कर उसे देय राशि को जमा करवा कर विवरण पत्र पेश करे।

विद्वान अभिभाषक के कथन को माना जाने पर कि यदि व्यवसाई जो अपना विवरण पत्र देरी से प्रस्तुत करेगा तो ही उसका विलम्ब शुल्क जमा करवाने का दायित्व है एवं विवरण पत्र प्रस्तुत ही नहीं करे तो उस पर किसी प्रकार का विलम्ब शुल्क का दायित्व नहीं है यह व्याख्या करना विधि की मंशा के विरुद्ध है। अतः विवरण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर विलम्ब शुल्क देय नहीं होने का कथन अस्वीकार किया जाता है।

3. विधिक प्रावधानों की व्याख्या उनके बनाये जाते वक्त निहित उद्देश्य के अनुसार की जाना अपेक्षित व विधिसम्मत है। धारा 21 व नियम 19 तथा नियम 19ए के तहत प्रत्येक पंजीकृत व्यवसायी के लिए बाध्यकारी (Mandatory) प्रावधान

लगातार.....4




है कि देय कर, ब्याज आदि का व्यवसायी स्वयं आकलन कर समयावधि में जमा करावें एवं नियत समयावधि पश्चात यह सुविधा भी प्रदान की गयी है कि देरी के लिए विधिक प्रावधानों के अनुसार मय देरी राशि जमा करवा कर विवरण पत्र पेश करे।

13. सशक्त अधिकारी द्वारा विवरण पत्र प्रस्तुत करने हेतु अपीलार्थी व्यवहारी को अवसर प्रदान कर निर्देशित किया फिर भी पालना नहीं की गयी। विधिक प्रावधानों की व्याख्या का सहारा लेकर अवहेलना को विधिसम्मत सिद्ध करने की कोशिश की है। उद्धरित प्रकरण का ससम्मान अध्ययन किया गया। विलम्ब शुल्क के प्रकरण में किसी प्रकार की अस्पष्टता नहीं है। अतः उद्धरित प्रकरण लागू नहीं होता है। अतः आपत्ति खारिज की जाती है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलीय अधिकारी के आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से पुष्टि की जाती है।

14. फलतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

15. निर्णय सुनाया गया।


22.11.2014
(मदन लाल)
सदस्य